

\*प्रेस नोट\*

\*जनपद – संतकबीरनगर\*

\*दिनांक- 14.05.2026\*

**\*“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप डकैती करने के मामले में 04 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष की सजा व कुल 4,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित\***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री संदीप कुमार मीना\* के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 14.05.2026 को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0 प्रथम जनपद संतकबीरनगर द्वारा 04 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष की सजा व कुल 4,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरण:-

दिनांक 07.11.2016 को वादी मुकदमा श्री रामअजोर चौरसिया पुत्र श्रीराम चौरसिया निवासी मड़या थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियुक्तगण 01. अमीरुद्दीन उर्फ अमीर हसन पुत्र जियाउद्दीन निवासी भभरा थाना गुलावटी जनपद बुलन्दशहर 02. शहने आलम पुत्र रफीउद्दीन निवासी कम्डेहा उर्फ कमेड़ा थाना ककरौली जनपद मुजफ्फरनगर 03. कलुआ पुत्र मंजूर निवासी जिसौरा थाना मुण्डाली जनपद मेरठ, 04. इरशाद पुत्र आस मोहम्मद उर्फ रफीउद्दीन निवासी रुकनपुर थाना भावनपुर जनपद मेरठ के विरुद्ध वादी के मड़या सागर कोल्ड स्टोर के निकट स्थित मार्बल की दुकान पर 04 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अवैध कट्टा दिखाकर मारपीट की गयी व 33000 रु0 व सोने की अंगूठी व दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर को उठा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री विरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरण:-

मु0अ0सं0 2238/2016 धारा 395/397 भादवि थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अभियुक्तगण उपरोक्त को उक्त प्रकरण में जुर्म स्वीकार करने पर अन्तर्गत धारा 395 भादवि के तहत प्रत्येक अभियुक्त को 07-07 वर्ष के कारावास व 500-500 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जाता है। जुर्माना अदा न करने पर 02-02 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 397 भादवि के तहत प्रत्येक अभियुक्त को 07-07 वर्ष के कारावास व 500-500 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जाता है। जुर्माना अदा न करने पर 02-02 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियुक्तगणों द्वारा पूर्व में बिताई गयी सजा को समायोजित किया जाएगा।

**\*“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप डकैती करने के मामले में 04 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष की सजा व कुल 4,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित\***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री संदीप कुमार मीना\* के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 14.05.2026 को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0 प्रथम जनपद संतकबीरनगर द्वारा 04 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष की सजा व कुल 4,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरण:-

दिनांक 16.11.2016 को वादी मुकदमा श्री बीरबल चौधरी पुत्र रामनयन निवासी कैनौना कुर्थिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियुक्तगण 01. अमीरुद्दीन उर्फ अमीर हसन पुत्र जियाउद्दीन निवासी भभरा थाना गुलावटी जनपद बुलन्दशहर 02. शहने आलम पुत्र रफीउद्दीन निवासी कम्डेहा उर्फ कमेड़ा थाना ककरौली जनपद मुजफ्फरनगर 03. कलुआ पुत्र मंजूर निवासी जिसौरा थाना मुण्डाली जनपद मेरठ, 04. इरशाद पुत्र आस मोहम्मद उर्फ रफीउद्दीन निवासी रुकनपुर थाना भावनपुर जनपद मेरठ के विरुद्ध वादी के कुर्थिया स्थित किराना की दुकान पर 04 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चाकू व अवैध कट्टा दिखाकर दुकान का 4-5 हजार रु0 छीन लेने व लैपटाप तोड़ देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री विरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरण:-

मु0अ0सं0 2288/2016 धारा 395/397 भादवि थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अभियुक्तगण उपरोक्त को उक्त प्रकरण में जुर्म स्वीकार करने पर अन्तर्गत धारा 395 भादवि के तहत प्रत्येक अभियुक्त को 07-07 वर्ष के कारावास व 500-500 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जाता है। जुर्माना अदा न करने पर 02-02 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 397 भादवि के तहत प्रत्येक अभियुक्त को 07-07 वर्ष के कारावास व 500-500 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जाता है। जुर्माना अदा न करने पर 02-02 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियुक्तगणों द्वारा पूर्व में बिताई गयी सजा को समायोजित किया जाएगा।

\*लूट के आरोपी 04 अभियुक्तों को मा० न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध घोषित करते हुए प्रत्येक को 07-07 वर्ष के कारावास एवं 04 हजार रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है\* ।

\* श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत जनपद संतकबीरनगर में गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप मा० न्यायालय ए०एस०जे० प्रथम द्वारा लूट के आरोपी 03 अभियुक्तों को दोषसिद्ध घोषित करते हुए 04 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष के कारावास एवं 4000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है\* ।

\*विवरण निम्नवत है:-\*

घटना विवरण:-

दिनांक 16.11.2016 को वादी मुकदमा श्री बीरबल चौधरी पुत्र रामनयन निवासी कैनाना कुर्थिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियुक्तगण 01. अमीरुद्दीन उर्फ अमीर हसन पुत्र जियाउद्दीन निवासी भभरा थाना गुलावटी जनपद बुलन्दशहर 02. शहने आलम पुत्र रफीउद्दीन निवासी कम्डेहा उर्फ कमेड़ा थाना ककरौली जनपद मुजफ्फरनगर 03. कलुआ पुत्र मंजूर निवासी जिसौरा थाना मुण्डाली जनपद मेरठ, 04. इरशाद पुत्र आस मोहम्मद उर्फ रफीउद्दीन निवासी रुकनपुर थाना भावनपुर जनपद मेरठ के विरुद्ध वादी के कुर्थिया स्थित किराना की दुकान पर 04 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चाकू व अवैध कट्टा दिखाकर दुकान का 4-5 हजार रु० छीन लेने व लैपटाप तोड़ देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था ।

सजा विवरण:-

मु०अ०सं० 2288/2016 धारा 395/397 भादवि थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अभियुक्तगण उपरोक्त को उक्त प्रकरण में जुर्म स्वीकार करने पर अन्तर्गत धारा 395 भादवि के तहत प्रत्येक अभियुक्त को 07-07 वर्ष के कारावास व 500-500 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जाता है । जुर्माना अदा न करने पर 02-02 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा । धारा 397 भादवि के तहत प्रत्येक अभियुक्त को 07-07 वर्ष के कारावास व 500-500 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जाता है । जुर्माना अदा न करने पर 02-02 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा । अभियुक्तगणों द्वारा पूर्व में बिताई गयी सजा को समायोजित किया जाएगा ।

\*लूट के आरोपी 04 अभियुक्तों को मा० न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध घोषित करते हुए प्रत्येक को 07-07 वर्ष के कारावास एवं 04 हजार रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है\* ।

\* श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत जनपद संतकबीरनगर में गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप मा० न्यायालय ए०एस०जे० प्रथम द्वारा लूट के आरोपी 03 अभियुक्तों को दोषसिद्ध घोषित करते हुए 04 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष के कारावास एवं 4000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है\* ।

\*विवरण निम्नवत है:-\*

घटना विवरण:-

दिनांक 07.11.2016 को वादी मुकदमा श्री रामअजोर चौरसिया पुत्र श्रीराम चौरसिया निवासी मड़या थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियुक्तगण 01. अमीरुद्दीन उर्फ अमीर हसन पुत्र जियाउद्दीन निवासी भभरा थाना गुलावटी जनपद बुलन्दशहर 02. शहने आलम पुत्र रफीउद्दीन निवासी कम्डेहा उर्फ कमेड़ा थाना ककरौली जनपद मुजफ्फरनगर 03. कलुआ पुत्र मंजूर निवासी जिसौरा थाना मुण्डाली जनपद मेरठ, 04. इरशाद पुत्र आस मोहम्मद उर्फ रफीउद्दीन निवासी रुकनपुर थाना भावनपुर जनपद मेरठ के विरुद्ध वादी के मड़या सागर कोल्ड स्टोर के निकट स्थित मार्बल की दुकान पर 04 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अवैध कट्टा दिखाकर मारपीट की गयी व 33000 रु० व सोने की अंगूठी व दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर को उठा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री विरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया था ।

सजा विवरण:-

मु०अ०सं० 2238/2016 धारा 395/397 भादवि थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अभियुक्तगण उपरोक्त को उक्त प्रकरण में जुर्म स्वीकार करने पर अन्तर्गत धारा 395 भादवि के तहत प्रत्येक अभियुक्त को 07-07 वर्ष के कारावास व 500-500 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जाता है । जुर्माना अदा न करने पर 02-02 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा । धारा 397 भादवि के तहत प्रत्येक अभियुक्त को 07-07 वर्ष के कारावास व 500-500 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जाता है । जुर्माना अदा न करने पर 02-02 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा । अभियुक्तगणों द्वारा पूर्व में बिताई गयी सजा को समायोजित किया जाएगा ।

### **\*दबिश के दौरान 06 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार\***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **\*संदीप कुमार मीना\*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे 06 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **\*थाना दुधारा पुलिस\*** द्वारा 05 वारण्टी नाम पता 01.मुनरिका पुत्र कुनाई निवासी परसा झकरिया, 02. रामप्रकाश पुत्र लाल बिहारी निवासी पैकवलिया थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर 03. एजाज अहमद पुत्र इकबाल अहमद निवासी पुरैना सिहारी थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती 04. मुनीर आलम पुत्र तस्दुक हुसैन 05. शाहबाज पुत्र मुनीर आलम निवासी दुधारा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**\*गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:-\*** उ0नि0 श्री अमरनाथ यादव, उ0नि0 श्री दिनेश कसौधन, उ0नि0 श्री प्रदीप सिंह, उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह, हे0का0 रजनीश पाठक, हे0का0 जयचन्द्र कन्नौजिया, का0 मनीष बर्नवाल, का0 अनिल यादव।

**\*थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा\*** 01 वारण्टी नाम पता पप्पू मद्देशिया पुत्र प्रहलाद मद्देशिया निवासी बैरिहवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**\*गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-\*** उ0नि0 श्री संजय कुमार वर्मा, का0 मिण्टू गुप्ता।

### **\*शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार\***

**\*थाना धनघटा पुलिस\*** द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

**\*थाना मेंहदावल पुलिस\*** द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

### **\*पीआरवी आफ द डे\***

**\*पीआरवी 6891 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल-\*** पीआरवी 6891 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत लुतुही से कालर द्वारा दो मोटरसाइकिलों के आपस में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों (1.त्रिलोकी पुत्र रामाश्रय उम्र 55 वर्ष, 2. रामाश्रय पुत्र हंसराज उम्र 80 वर्ष सा0 बाघापार थाना महुली जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को पीआरवी 6891 की सहायता से इलाज हेतु सीएचसी नाथनगर भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायल को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- का0 विवेक कुमार यादव, का0 शेषनाथ गौड़, हो0गा0 चा0 संजीव कुमार।

### **\*मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 277 वाहनों से 2,88,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया\***

आज दिनांक 14.05.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 277 वाहनों से 2,88,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

### **\*“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट करने के मामले में 02 अभियुक्तों को कुल 8,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित\***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **\*श्री संदीप कुमार मीना\*** के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 14.05.2026 को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद संतकबीरनगर द्वारा 02 अभियुक्तों को कुल 8,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरण:-

वादी मुकदमा श्री छत्तर पुत्र मंगरु निवासी उसका कला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियुक्तगण 01. झिनक पुत्र तपसी 02. इन्द्रकला पत्नी झिनक निवासीगण उसका कला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादी के साथ मारपीट करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उ0नि0 श्री विजयधर तिवारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरण:-

मु0अ0सं0 424/2003 धारा 323, 504,325 भादवि थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अभियुक्तगण उपरोक्त को उक्त प्रकरण में जुर्म स्वीकार करने पर अन्तर्गत धारा 323 भादवि के 300-300 रुपये के जुर्माने, धारा 504 भादवि के 700-700 रुपये के जुर्माने, धारा 325 भादवि के 3000-3000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। जुर्माना अदा न करने पर 15-15 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।